

आईआईबीएफ विज्ञान अप्रैल, 2012

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स का मासिक न्यूज़लेटर
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

प्रति वर्ष 40/रुपये

आईआईबीएफ विज्ञान

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4

अंक सं. : 10

मई 2012

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं-----	1
मौद्रिक नीति -----	1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां-----	2
बैंकिंग जगत की घटनाएं-----	3
विनियामकों के कथन -----	5
सूक्ष्मवित्त -----	6
विदेशी मुद्रा -----	6
नयी नियुक्तियां-----	6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक-----	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारियाँ-----	7
शब्दावली -----	7
संस्थान की गतिविधियां -----	7
संस्थान समाचार-----	7
बाज़ार की खबरें-----	8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदे सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बासेल- III मानदंड और भारतीय बैंक - भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित नयी पूंजी आवश्यकताएं

विनियामक पूंजी : मौजूदा मानदंडों के अनुसार जोखिम-भारित आस्तियों (RWAs) की तुलना में 0% के रूप में नया मैट्रिक्स, टियर- I और टियर - II पूंजी सहित कुल न्यूनतम पूंजी अनुपात 9% है।

- i. न्यूनतम साझी इक्विटी टियर-I अनुपात : 5.5
- ii. पूंजी संरक्षण सुरक्षित भण्डार (साझी इक्विटी सहित) : 2.5
- iii. न्यूनतम साझी इक्विटी टियर-I अनुपात जोड़िए पूंजी संरक्षण सुरक्षित भण्डार [(i) + (ii)] : 8
- iv. अतिरिक्त टियर-I पूंजी : 1.5
- v. न्यूनतम टियर-I पूंजी अनुपात [(i) + (iv)] : 7
- vi. टियर-II पूंजी : 2
- vii. न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात (MTC) [(v) + (vi)] : 9
- viii. न्यूनतम कुल पूंजी अनुपात जोड़िए पूंजी संरक्षण सुरक्षित भण्डार [(vii) + (ii)] 11.5

1ली तिमाही की मौद्रिक नीति की समीक्षा : 17 अप्रैल 2012

नीतिगत उपाय :

- चल निधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत पुनर्खरीद (repo) दर में 50 आधार अंकों की कमी अर्थात् 8.5% से 8.0%
- पूंजी संरक्षण सुरक्षित भण्डार प्रत्यावर्ती (reverse) पुनर्खरीद दर 7.0% पर अंशशोधित
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 9.0% पर समायोजित
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की उधार सीमा उनकी निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के 1% से बढ़ा कर 2% की गई।

- वर्तमान वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7.3% है।

मौद्रिक एवं चलनिधि से सम्बन्धित स्थितियां

- वृद्धि और मुद्रास्फीति की स्थिति के अनुमानों के अनुरूप वर्ष 2012-13 की एम3 वृद्धि के 15% रहने का अनुमान है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की संसाधन सम्बन्धी आवश्यकताओं में संतुलन लाने हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में वृद्धि के 17% रहने का अनुमान है।
- चलनिधि के घाटे से निपटने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) के माध्यम से लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपये तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 125 आधार अंकों की कमी के माध्यम से 0.8 ट्रिलियन रुपये लगाए। इन उपायों तथा सरकार के नकदी शेषों में सुधार के कारण चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत निवल उधार राशियां, जो मार्च 2012 के अंत में 2 ट्रिलियन रुपये के शीर्ष स्तर पर थीं, 13 अप्रैल 2012 को घटकर 0.7 ट्रिलियन रुपये रह गईं।

विकास एवं विनियामक नीतियां

- बैंकिंग सेवाओं को निचले स्तर पर पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (SLBCs) के लिए यह अनिवार्य किए जाने का प्रस्ताव है कि वे, ऐसी रूपरेखाएं तैयार करें जिसमें 2,000 से कम आबादी वाले सभी बैंक रहित गांवों का समावेश हो तथा इन गांवों को समयबद्ध रीति से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु सांकेतिक रूप से बैंकों को आबंधित किए जाए।
- बैंकों को ऐसी एकल गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के प्रति जिसने अपनी कुल वित्तीय आस्तियों के 50% अथवा उससे अधिक सीमा तक स्वर्ण ऋण दे रखा हो, उनके विनियामक ऋण-जोखिम की उच्चतम सीमा को बैंक की पूंजीगत निधियों के वर्तमान 10% से घटाकर 7.5% कर देना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोने की मांग, सोने के मूल्यों से सम्बन्धित प्रवृत्तियों तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा सोने के समक्ष उधार का विस्तृत अध्ययन करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया है।
- बासेल-III के सम्बन्ध में पूंजी विनियमनों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अंतिम दिशानिर्देश अप्रैल 2012 के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे तथा चलनिधि जोखिम प्रबन्धन एवं चलनिधि मानकों से सम्बन्धित दिशानिर्देश मई 2012 के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे।

मुद्रा प्रबन्धन

- प्रचलन के तहत जाली नोटों के मुद्दे का निराकरण करने के उद्देश्य से बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि काउंटरो पर प्राप्त नोटों को उन्हें केवल मशीनों के माध्यम से विहित रूप से अधिप्रमाणित करने के बाद ही पुनः परिचालित किया जाए। बैंकों

के शाखा नेटवर्क के विस्तृत भौगोलिक विस्तार तथा प्रौद्योगिकी से लाभ उठाए जाने के उद्देश्य को देखते हुए मुद्रा नोटों एवं सिक्कों का वितरण केवल मुद्रा तिजोरियों और बैंक शाखाओं के माध्यम से ही किया जाएगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सरकारी ऋण नीलामियों के लिए बोली का समय घटाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 अप्रैल से नीलामी प्रक्रिया की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए सरकारी ऋण नीलामियों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के समय में 30 मिनट की कमी कर दी है। अब संशोधित समय प्रातः 10.30 बजे और 12.00 बजे अपरान्ह के बीच होगा। गैर-प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों का समय प्रातः 10.30 बजे से पूर्वान्ह 11.30 बजे तक अपरिवर्तित है। यह समय दिनांकित प्रतिभूतियों, खजाना बिलों, नकदी प्रबन्धन बिलों, राज्य विकास ऋणों तथा हामीदारी नीलामियों सहित सभी सरकारी प्रतिभूतियों की प्राथमिक नीलामियों पर लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एमएसएस बकाये के लिए 50,000 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा नियत की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2012-13 के लिए बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS) के तहत बकाया शेष की सीमा 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है। बकाया शेष के 35,000 करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा तक पहुंच जाने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। बाज़ार स्थिरीकरण योजना का वर्तमान बकाया शेष शून्य है। भारतीय रिज़र्व बैंक बाज़ार स्थिरीकरण योजना का उपयोग प्रणाली से अल्प अवधि के आधार पर धनराशि आहरित करने हेतु करता है।

विदेशी मुद्रा खाते के लिए कोई पूर्वानुमति नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के अद्यतन निर्देशों के अनुसार अब घरेलू कम्पनियां विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए विदेशी मुद्रा खाते (FCA) किसी विनियामक पूर्वानुमोदन के बिना खोल, धारित एवं रख सकती हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि भारतीय पक्षकार द्वारा विदेशी मुद्रा खाते में प्रेषित विप्रेषण का उपयोग संयुक्त उद्यम / पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक कम्पनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने हेतु ही किया जाना चाहिए।

बैंकों को सोने पर उधार देने के सम्बन्ध में नीति तैयार करने हेतु कहा गया

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों से सोने की प्रतिभूति पर उधार देने हेतु एक नीति तैयार करने के लिए कहा है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शीघ्र ही सावधि ऋण तथा ओवरड्राफ्ट खाते की "आसाप" प्रदान करने हेतु प्रतिभूति के रूप में सोने का उपयोग करने हेतु एक नीति तैयार करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गृह ऋणों की समय-पूर्व अदायगी पर मोचन निषेध शुल्क समाप्त किए

बैंकों में ग्राहक सेवा पर दामोदरन समिति की सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा अस्थिर ब्याज दरों वाले गृह ऋणों की समय-पूर्व अदायगी पर वसूल किए जाने वाले मोचन निषेध प्रभारों को समाप्त कर दिया है। गृह ऋण उधारकर्ताओं द्वारा इन प्रभारों का विशेषतः इसलिए प्रतिरोध किया गया था, क्योंकि घटते ब्याज दर वाले परिदृश्य में बैंक कमतर ब्याज दरों का लाभ मौजूदा उधारकर्ताओं को प्रदान करने के प्रति आनाकानी करते हैं। इसके अलावा, मोचन निषेध प्रभार प्रतिबंधात्मक स्वरूप वाले थे, क्योंकि वे उधारकर्ताओं को उपलब्ध होने वाले अपेक्षाकृत सस्ते स्रोतों को अपनाने से हतोत्साहित करते थे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों से सम्बन्धित मानदंड जून के अंत तक

उषा थोरात कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए विनियामक ढांचे से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का प्रारूप जून के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। उक्त समिति ने संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति ऋण जोखिम (exposure) के लिए उच्चतर जोखिम भारों, न्यूनतम टियर -I पूंजी में 3 वर्षों में प्राप्त की जाने वाली 12% की वृद्धि तथा चलनिधि से सम्बन्धित अपेक्षाओं, आस्ति वर्गीकरण एवं बैंकों के सदृश प्रावधानीकरण मानदंडों की सिफारिश की थी। मानक आस्तियों के लिए 180-दिवसीय मानदंड को अपनाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 90 दिन वला मानदंड अपनाना पड़ सकता है।

राज्यों को नियत 10,240 करोड़ रुपये का 'अर्थोपाय अग्रिम'

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के लिए 10,240 करोड़ रुपये की समग्र सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (WMA) सीमा निर्धारित की है। भारतीय रिज़र्व बैंक उसके साथ बैंकिंग व्यवहार करने वाले राज्यों को प्राप्तियों एवं भुगतानों के नकदी प्रवाहों में अस्थायी असंतुलन से निपटने में सहायता करने के लिए 'अर्थोपाय अग्रिम' (WMA) सुविधा प्रदान करता है। कोई राज्य अपना बैंकिंग कारोबार, यथा भुगतान, प्राप्तियां, वसूली, मुद्रा का विप्रेषण, सार्वजनिक ऋण प्रबन्धन तथा नये ऋणों का निर्गम एक स्वैच्छिक करार के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को सौंप देता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर समितियों से 'बैंकिंग सुविधा रहित गांवों के लिए रूपरेखा तैयार करने' हेतु कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य स्तरीय बैंकर समितियों (SLBCs) के लिए 2,000 से कम की आबादी वाले बैंकिंग सुविधा रहित सभी गांवों को शामिल करने तथा इन गांवों को एक समयबद्ध रीति से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु बैंकों को आबंटित करने की रूपरेखा तैयार करना अनिवार्य कर दिया है। वर्ष 2012-13 की मौद्रिक नीति के वक्तव्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पैठ में वृद्धि का उल्लेख है। बैंक अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1,38,502 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इनमें 24,085 ग्रामीण शाखाओं, 1,11,948 कारबार संपर्क बिक्री केन्द्रों तथा अन्य विधियों के माध्यम से 2,469 बिक्री केन्द्रों का समावेश है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि प्रधान कार्यालयों द्वारा तैयार की गई वित्तीय समावेशन की योजनाओं को सम्बन्धित नियंत्रक कार्यालयों और उसके बाद शाखा स्तर पर भी पृथक्कीकृत किया जाए।

बैंकों से भारतीय रिज़र्व बैंक : ऋण चुकौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक विधि स्वीकार करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को यह सलाह दी है कि वे उनके ग्राहकों को ऋणों की चुकौती करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करें। यह निर्देश ग्राहकों से ऋण खातों में जमा हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) की अस्वीकृति और उससे उन्हें होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में कुछेक शिकायतों के अनुसरण में जारी किया गया है।

बैंकिंग जगत की गतिविधियां

राष्ट्रीयकृत बैंक कारपोरेट ऋण पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे

भारतीय कम्पनियां राष्ट्रीयकृत बैंकों को प्रस्तुत उनके ऋण प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई की आशा कर सकती हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने ऐसे प्रस्तावों पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जाने के लिए उनके सम्बन्धित प्रधान कार्यालयों में ऋण अनुमोदन समितियों (CACs) का गठन किया है। 3 लाख करोड़ अथवा उससे अधिक के व्यवसाय वाले श्रेणी क वाले बैंकों के मामले में ऋण अनुमोदन समिति को 400 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। 3 लाख करोड़ से कम के व्यवसाय वाले श्रेणी ख वाले बैंकों के मामले में ऋण अनुमोदन समिति 250 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों पर निर्णय ले सकती है। फलतः अब गुणवत्तापरक प्रस्तावों पर पूर्ववर्ती महीनों लंबी अवधि तक प्रतीक्षा किए जाने की तुलना में एक या दो दिनों में ही निर्णय लिए जाने की आशा की जा सकती है।

अन्य बैंकों के ग्राहकों की सेवा करने वाले कारबार संपर्की वित्तीय समावेशन के विस्तार में सहायक हो सकते हैं

किसी एक बैंक के कारबार संपर्कियों (BCs) को अन्य बैंकों के ग्राहकों की सेवा करने की अनुमति देने वाली भारतीय रिज़र्व बैंक की मुहिम का स्वागत किया गया है तथा उसे ग्राहकों, बैंकों और स्वयं कारबार संपर्कियों के लिए लाभदायक माना गया है। कारपोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री अजय कुमार का कहना है कि इस मुहिम से नो फ्रिल्स खाता धारकों को मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने हेतु वैकल्पिक चैनल प्राप्त होंगे तथा वह ग्राहकों की उस समय सहायता करेगी जब वे अपने निवास स्थान से दूर वाले किसी स्थान पर जाएंगे।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए वसूली व्यवस्था को सुदृढ़ करें

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए संयुक्त सचिव (बैंकिंग परिचालन), श्री आलोक निगम की अध्यक्षता वाले परामर्शी दल ने यह सुझाव दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को 'बैंकों को देय ऋणों की वसूली (RDDDB) अधिनियम' के अधीन लाते हुए उन्हें बैंकों की ही भांति अशोध्य ऋणों को वसूल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उक्त समिति वित्त मंत्रालय से इस सुझाव पर विचार करने हेतु दृढ़तापूर्वक अनुरोध कर रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकों के दैनिक उधार में 50% की कमी

4 अप्रैल, 2012 को भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकों के दैनिक उधार में इसके पहले वाले दिन के 83,795 करोड़ रुपये के स्तर से लगभग 50% की कमी आ गई। 3री अप्रैल को बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्खरीद खिड़की से 1.38 लाख करोड़ रुपये उधार लिये थे, जो केन्द्रीय बैंक के निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) से 1% अधिक या कम वाले सांकेतिक सहूलियत स्तर से काफी अधिक है। 4 अप्रैल को पांच दिवसीय पुनर्खरीद नीलामी में बैंकों ने 35,500 करोड़ रुपये उधार लिये। भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) खिड़की से उधार ली गई राशियां 26 मार्च को बढ़ कर 1.95 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच गईं।

खाद्येतर ऋण में बढ़ोतरी, जमा वृद्धि में मंदी

23 मार्च 2012 तक के पखवाड़े में खाद्येतर ऋण में वर्षानुवर्ष 16.8% की वृद्धि हुई, जिससे बकाया ऋण 45,30,326 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया। पिछले पखवाड़े में कम्पनियों और व्यक्तियों को ऋण में वर्षानुवर्ष 16.1% की वृद्धि दर्ज हुई थी। हालांकि, जमाराशियों में मंदी की प्रवृत्ति रही, जिनमें वर्षानुवर्ष केवल 13.4% की वृद्धि हुई। आज के दिन तक की वर्ष की ऋण वृद्धि 16.9% रही, जो वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के 16% के पूर्वानुमानों से थोड़ी अधिक है। वास्तव में,

मंद पड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती अनर्जक आस्तियों के परिप्रेक्ष्य में बैंक कुछ जोखिम विमुख से लगते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक संयुक्त उद्यमों, मुख्येतर परिचालनों में अनुमोदन के बिना निवेश नहीं कर सकते

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर संयुक्त उद्यमों और मुख्येतर कार्यकलापों में निवेश करने पर इस आधार पर रोक लगा दी है कि पूंजी केवल मुख्य कार्यकलापों में ही अभिनियोजित की जानी चाहिए। अब बैंकों के लिए संयुक्त उद्यमों, निधियों एवं सहायक कम्पनियों जैसे मुख्येतर कार्यकलापों में निवेश करने से पहले वित्त मंत्रालय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। बैंकों के निदेशक मंडलों में शामिल सरकार के नामितियों से भी इस आशय के संकल्प न पारित करने के लिए कहा गया है। सरकार ने बैंकों में टियर-1 पूंजी इस शर्त पर लगाने का निर्णय किया था कि ऋण अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों अर्थात् बैंकों के मुख्य कार्यकलाप को ही प्रदान किए जाएंगे। वह बैंकों से इस बात को समझने की आशा करता है कि दुर्लभ पूंजी का उपयोग केवल केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह उपलब्ध कराई गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की दर कटौती का प्रभाव कमजोर पड़ने से बॉण्डों के प्रतिफल बढ़े

भारतीय रिज़र्व बैंक से मौद्रिक सहूलियत की प्रत्याशा में प्रतिफल में गिरावट आ रही थी, जो 17 अप्रैल 2012 को उस समय माह के अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए, जब केन्द्रीय बैंक ने अपेक्षा से अधिक 50 आधार अंकों की कटौती घोषित कर दी। हालांकि, व्यापारियों को भारतीय ऋण की कीमतों में (कम से कम निकट अवधि में) बढ़ोतरी जारी रहने की आशा नहीं है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक अप्रैल से सितम्बर तक की अवधि में बॉण्डों में 3.7 बिलियन रुपये की भारी बिक्री इसप्रकार करने का इच्छुक है, जिसमें से 160 बिलियन की बिक्री 20 अप्रैल 2012 को किए जाने की योजना है। बेंचमार्क 10 वर्षीय बॉण्ड पर प्रतिफल शुरूआती खरीद-बिक्री में घट कर 8.30% पर पहुंचने के बाद 2 आधार अंक अधिक वाले 8.36% के स्तर पर स्थिर हो गया। पुनर्खरीद दर में इन कटौतियों की आबंटित सीमा का वर्ष के प्रारंभ में ही उपयोग कर लिए जाने (फ्रंट लोडिंग) से आगामी महीनों में इसप्रकार की सहज बढ़ोतरी कम होने के भी संकेत प्राप्त होते हैं।

बैंकों के लिए अधिक प्रावधानीकरण विचाराधीन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए एक ऐसा गतिशील प्रावधानीकरण प्रस्तावित किया है, जिसमें मंदी के समय, जब ऋणगत हानियों का दबाव अधिक होता है, उपयोग में लाने हेतु आर्थिक उत्थान

के दौरान अधिक प्रावधान किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय संकट के बाद पूंजी की पूर्व-चक्रीयता और प्रावधानीकरण से निपटने के लिए प्रति-चक्रीयता और प्रावधानीकरण का सुरक्षित भण्डार लागू करने का प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय बैंकों के ऋण इतिवृत्त के आधार पर अंशशोधित मापदंडों के साथ प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण ढांचे पर एक चर्चात्मक दस्तावेज़ भी तैयार किया जा रहा है।

बैंक जमाराशियों में गिरावट

मार्च 2012 में समाप्त वर्ष में बैंकों ने अपने जमा आधार में 6.95 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की, जो 2010-11 में एकत्रित 7.5 लाख करोड़ रुपये के स्तर से कमी दर्शाता है। नये संग्रहण में कमी के परिणामस्वरूप वृद्धि दर में भी गिरावट आ गई, जो 1010-11 के 16% से घट कर हाल ही में समाप्त वित्तीय वर्ष में 13% से मामूली ही अधिक है। यह गिरावट बढ़ती ब्याज दरों की उस प्रवृत्ति के बावजूद दर्ज हुई, जो 2010 के उत्तरार्ध में आरंभ हुई और 2011-12 के दौरान भी कायम रखी जा रही है।

भारतीय रिज़र्व बैंक कठिनायों के दौर में

पुनर्खरीद दर में 50 आधार अंकों तथा आरक्षित नकदी निधि अनुपात में 125 आधार अंकों की कटौती करके भारतीय रिज़र्व बैंक वह सब कर चुका है, जो वह फिलहाल विशेषतः राजकोषीय स्थिति और विनियामक सुधारों की गति को ध्यान में रखते हुए कर सकता है। इस बात को स्वीकार करते हुए की वृद्धि कमजोर है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नीति के मध्यम से, संभवतः उपभोक्ता एवं व्यवसाय के विश्वास को बढ़ाने वाले उपायों के माध्यम से मांग को पुनरुज्जीवित किए जाने पर बल दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक धीमी गति से आगे बढ़ना चाहता है, विशेषतः इसलिए कि मुद्रास्फीति में कमी आ गई है, किन्तु वह तेल की ऊंची कीमतों, व्यापक रूप से निरुद्ध मुद्रास्फीति, अपेक्षाकृत कमजोर रुपये से पास थ्रू, बजट में कर वृद्धियों के प्रभाव, मजदूरी से सम्बन्धित निरंतर दबावों तथा आपूर्ति की राह में ढांचागत अड़चनों के परिणामस्वरूप समस्यामूलक हो सकती है। इससे निस्तार का मार्ग है कम्पनियों की कीमत-निर्धारण शक्ति, जो मांग कम होने पर घट जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक की ऋण खरीद से अस्थायी राहत मिलेगी

आगामी महीनों में बेची जाने वाली ऋण प्रतीक्षा की भारी आपूर्ति को देखते हुए ऋण खरीद के माध्यम से दीर्घकालिक नकदी अभाव को दूर करने के भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रयासों से बॉण्ड और अदला-बदली (swap) बाजारों को अस्थायी राहत प्राप्त होगी। विश्लेषकों का कहना है कि भारतीय रिज़र्व बैंक खुले बाजार के परिचालनों (OMOs) का उपयोग बॉण्ड की कीमतों में बढ़ोतरी का उछाल-तख्ता (spring-board) बनने की संभावना को समाप्त करते हुए केवल अवसरवादी चलनिधि साधनों के रूप में करेगा। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के अर्थशास्त्री श्री

ए. प्रसन्ना के मतानुसार "इस प्रकार की घटनाएं अब भी चलनिधि प्रेरित हो सकती हैं।" गिरता रुपया भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से खुले बाज़ार के परिचालनों के प्रभाव को मोथरा कर सकता है। इस माह में मुद्रा के मूल्य में 4% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई है- जिससे केन्द्रीय बैंक इसे बचाने के लिए सितम्बर से जनवरी तक की अवधि में 19.86 बिलियन मूल्य के डालर बेचने पर विवश हो गया।

बैंक आवास वित्त गैर-सरकारी संगठनों को अधिक उधार दे सकते हैं

वाणिज्यिक बैंक अब झुग्गी-वासियों को आवास वित्त प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को अधिक उधार दे सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन गैर-सरकारी संगठनों के प्रति बैंकों की ऋण जोखिम (exposure) सीमाएं बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी है, बशर्ते वे विशिष्ट प्रयोजनों के लिए पुनः उधार दें। वर्ष 2012-13 के संघीय बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में वैयक्तिक रिहायशी इकाइयों के निर्माण / पुनर्निर्माण अथवा झुग्गी-झोपड़ियों को हटाने और झुग्गी-वासियों के पुनर्वास के प्रयोजन हेतु पुनः उधार देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अनुमोदित गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए जाने वाले बैंक ऋणों की सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।

ऋण-जमा अनुपात भारतीय रिज़र्व बैंक को दरों के समन्ध में विवश कर सकता है

भारतीय बैंकों का जमा के अनुपात में ऋण मार्च के प्रारंभिक दिनों में 76.65% के नये शिखर पर पहुंच गया - जिससे प्रणाली में संसाधन सम्बन्धी दबाव का संकेत प्राप्त होता है तथा जिसने कई एक बैंकों को जमाराशियों पर ब्याज दरें बढ़ाने पर विवश कर दिया। सरल शब्दों में कहा जाए, तो बैंक जमाराशियों के अलावा अन्य संसाधनों से उधार दे रहे हैं। यह देखते हुए कि उनके द्वारा जमाराशियों के रूप में जुटाए जाने वाले प्रत्येक 100 रुपये के लिए उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास आरक्षित नकदी आवश्यकता के रूप में 5.50 रुपये जमा करने पड़ते हैं और 24 रुपये की एक अन्य राशि सरकारी बॉण्डों में लगानी पड़ती है, अतएव उनके पास उधार देने के लिए केवल 69.50 रुपये बचते हैं। इस प्रकार प्रणालीगत स्तर पर बैंकों को उधार देने के लिए अपनी प्रारक्षित निधियों और अधिशेष का उपयोग करना पड़ता है। इसके अलावा, उन्होंने लगभग 5% की अतिरिक्त रकम का निवेश सरकारी बॉण्डों में पहले से कर रखा है। प्रणालीगत चलनिधि की कठिन स्थिति के बीच जमाराशि की तुलना में ऋण का औसत अनुपात पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से 70% से अधिक के स्तर पर बना हुआ है, जिसने कई एक बड़े ऋणदाताओं को जमा दरें बढ़ाने पर विवश कर दिया है। बैंक वाणिज्यिक पत्रों (CPs), जमा प्रमाणपत्रों (CDs) और थोक जमाराशियों जैसे अल्पावधिक लिखतों के निर्गम के माध्यम से निधियां जुटा रहे हैं। चलनिधि की कठिन स्थिति प्रणाली में संसाधन सम्बन्धी दबाव का भी संकेत देती है।

मार्च में स्पेन के बैंकों की उधार राशियां लगभग दो गुना बढ़ीं

स्पेन के बैंकों ने मार्च में यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB) से 316.3 बिलियन यूरो उधार लिये- जो एक माह पहले की तुलना में लगभग दो गुना है, क्योंकि इन बैंकों ने यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB) की विशेष चलनिधि व्यवस्था में अभिदान किया। स्पेन के बैंकों ने दिसम्बर और फरवरी दोनों ही महीनों में यूरोपीय केन्द्रीय बैंक (ECB) के 3 वर्षीय चलनिधि प्रस्तावों पर निभडर होने की अत्यधिक प्रवृत्ति दर्शाई, क्योंकि बाज़ार के तनावों के बीच कठिन निधीयन स्थितियों ने वित्तीय संस्थाओं को थोक बाज़ारों की अपेक्षा केन्द्रीय बैंक पर निर्भर होने के लिए विवश कर दिया। कुल निवल उधार राशियां फरवरी में 152.4 बिलियन यूरो की तुलना में मार्च में 227.6 बिलियन यूरो रहीं।

नीतिगत अनिश्चितता से वित्तीय वर्ष 11 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रभावित

नीतिगत अनिश्चितता के कारण वर्ष 2010-11 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) प्रवाह एक वर्ष पहले के 27.1 बिलियन डालर से घटकर 20.3 बिलियन डालर रह गया। दर्शाए गए निवेशों की तुलना में भारत में हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों की तुलना से 2010-11 के दौरान लगभग 25% की गिरावट से पहले 2009-10 तक के संभाव्य स्तर का पता चल जाता है। वृद्धि की संभाव्यताओं, श्रम लागतों तथा नीतिगत परिवेश ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं को हुए वैश्विक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों में वित्तीय वर्ष 11 में बढ़ोतरी हुई, किन्तु भारत में यह प्रवाह वैश्विक पुनरुत्थान से पहले अपेक्षाकृत बेहतर घरेलू आर्थिक कार्य-निष्पादन के बावजूद मंद रहा।

फरवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटकर 4.1% हुआ

फरवरी में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में अपेक्षा से कम वृद्धि दर्ज हुई, जबकि जनवरी की संख्याओं को तीव्र गति से संशोधित किया गया - जिससे इस बात का पता चलता है कि 1.6 डालर वाली अर्थव्यवस्था गति प्राप्त करने हेतु संघर्षरत थी, किन्तु इस संभाव्यता को बढ़ा रही थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक तीन वर्षों में पहली बार दरों में कटौती करेगा। एक वर्ष पहले वाली अवधि की तुलना में फरवरी में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 4.1 % हो गया, जो नवम्बर के बाद से सर्वोच्च है, किन्तु 6.6% के औसत अनुमान से काफी कम है। सरकार ने एक आश्चर्यजनक धमाका किया, क्योंकि जनवरी माह की कारखाना उत्पादन वृद्धि को प्रारंभिक रूप से अनुमानित 6.8% से घटाकर 1.1 % के रूप में संशोधित किया गया।

हानि उठाने वाले बैंकों, बीमा कम्पनियों की शाखाओं को बंद करना सरकार के विचाराधीन

वित्तीय सेवाओं के सचिव श्री डी.के. मित्तल ने की राय यह है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अभिनियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ को अधिकतम करने हेतु हानि उठाने वाले बैंकों, बीमा कम्पनियों की शाखाओं को बंद करने पर विचार करना चाहिए। बैंकों की अनर्जक आस्तियां दिसम्बर 2011 तक बढ़ कर 1.27 लाख करोड़ हो गई हैं। इसमें से सार्वजनिक क्षेत्र के सकल अशोध्य ऋणों में 51% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे 2011 में यह 1.03 लाख करोड़ के उच्च स्तर पर पहुंच गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां दिसम्बर 2010 के अंत में 68,597.09 करोड़ रुपये से बढ़ कर दिसम्बर 2011 में 103,891.27 करोड़ रुपये हो गई हैं।

वर्षात की आपाधापी के बाद बैंक जमाराशियों, ऋण वृद्धि में गिरावट

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों में वर्षात की तीव्र वृद्धि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में कुछ हद तक उलटी हो गई है, जिससे वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दिए गए कृत्रिम बढ़ावे का पता चलता है। बैंक जमाराशियों, जिनमें मार्च के अंत में 2 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि दर्शाई गई थी, में लगभग 17,000 करोड़ रुपये की गिरावट आ गई, जिसके फलस्वरूप वृद्धि की वार्षिक दर 17% से कम हो कर नये वित्तीय वर्ष के पहले सप्ताह में 14% रह गई। इसीप्रकार, वार्षिक ऋण वृद्धि एक सप्ताह के भीतर ही 19.3% से घट कर 18.73% रह गई।

विनियामकों के कथन

माल एवं सेवा कर मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक, जो पिछले दो वर्षों से मुद्रास्फीति के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है, यह महसूस करता है कि माल सेवा कर (GST) को लागू किया जाना मूल्य वृद्धि को रोकने में सहायक हो सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने कहा है कि "माल एवं सेवा कर वृद्धि को उत्प्रेरित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सुधार होगा, क्योंकि यह सरकारी वित्त को नियंत्रित करने तथा मांग से सम्बन्धित उन दबावों को कम करने में सहायता करेगा, जो मुद्रास्फीति की निरंतरता को बनाए रखने में योगदान करते आ रहे हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि "माल एवं सेवा कर ब्याज दरों में कमी लाने हेतु अवसर सृजित कर सकता है तथा वृद्धि को गति प्रदान करने में योगदान कर सकता है। चूंकि उच्च मुद्रास्फीति और उच्च वृद्धि दर के बीच कोई समझौताकारी समन्वय नहीं हो सकता, उच्च वृद्धि को पुनः सृजित करने के लिए कीमतों से निपटना महत्वपूर्ण है और निरंतर रूप से कमतर मुद्रास्फीति उच्च वृद्धि की पूर्व शर्त होती है।"

वित्तीय समावेशन बैंक प्रणीत मॉडेल होना चाहिए

भारत में वित्तीय समावेशन के ध्येय तक पहुंचाने के लिए इस समय अन्य संस्थाओं की तुलना में बैंक बेहतर स्थिति में हैं, यद्यपि मोबाइल कम्पनियों को उनके साथ भागीदारी करने की अनुमति प्रदान की गई है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने कहा है कि "वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को मुख्य धारा वाली बैंकिंग संस्थाओं के माध्यम से बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे उत्पादों की संजाति को उपलब्ध कराने का सामर्थ्य केवल उन्हीं में है, जो सार्थक वित्तीय समावेशन को संपन्न करते हैं।" 3 वर्षीय वित्तीय समावेशन अभियान में बैंकों ने मार्च 2012 तक 2000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों का समावेश कर लिया है तथा वे एक समयबद्ध रीति से सभी गांवों तक पहुंचने की दिशा में कार्यरत हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों के लिए बेहतर प्रबन्धन की दरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों से दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबन्धन करने के लिए अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कहा है, किन्तु उसका कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में अनर्जक आस्तियों के स्तरों में अनपेक्षित वृद्धि के बारे में खतरनाक जैसी कोई चीज़ नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती का कहना है कि चिंताएं (अनर्जक आस्तियों के सम्बन्ध में) मौजूद हैं। हमने बैंकों से उनकी सूचना प्रणाली को सुधारने के लिए कहा है। किन्तु अब तक स्थिति खतरनाक नहीं है। प्रणाली में कुल अनर्जक आस्तियों के पिछले वित्त वर्ष के 98,000 करोड़ रुपये के रूप में 2.3% के समक्ष इस वित्त वर्ष में कुल आस्तियों के 3% तक हो जाने की संभावना है। किन्तु विनियामक जिस बात को लेकर चिंतित है वह है इस वित्त वर्ष में कारपोरेट ऋण पुनर्परिकलन में 300% से अधिक की बढ़ोतरी, जो पिछले वित्त वर्ष के 25.054 करोड़ रुपये के समक्ष पहले ही 76,251 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। इससे प्रणाली की समग्र कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था आस्ति 1.9 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है।

दर वृद्धि की संभाव्यता बनी हुई है

वार्षिक ऋण नीति की घोषणा के तुरंत बाद भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि ब्याज दरों में कोई भी भावी वृद्धि या कमी मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगी। मार्च की समग्र मुद्रास्फीति घट कर 6.89% रही, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 7% के पूर्वानुमान से कम थी। डॉ. सुब्बाराव ने कहा था कि ब्याज दर में कटौती इस आकलन पर आधारित थी कि वृद्धि में मंदी तथा मुख्य मुद्रास्फीति में कमी आ गई है। मुद्रास्फीति के प्रति उच्चतर जोखिम बना हुआ है। ये विचार नीतिगत दरों में और कटौती के अवसर को सहज रूप से सीमित कर देते हैं।

सूक्ष्मवित्त

करार के लिए स्थानीय भाषा का प्रयोग करें

भारतीय रिज़र्व बैंक यह चाहता है कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं (MFIs) अपने ऋण करारों को उनके निदेशक मंडलों द्वारा अधिमान्य रूप से स्थानीय भाषा में स्वीकृत कराएं।

अधिकांश सूक्ष्म वित्त फर्मों की ऋण पुनरीक्षण योजनाएं बैंक छानबीन में असफल

5 में से 4 सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, जिन्होंने ऋण पुनर्परिचालन का विकल्प अपनाया था, बैंकों को उनके प्रस्तावों को कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR Cell) कक्ष में शामिल करवाने के प्रति आश्चर्य करने में विफल हो गईं। एक साथ मिलाकर इन चारों सूक्ष्म वित्त कम्पनियों के पास बैंकों से लगभग 175-200 करोड़ रुपये का ऋण बकाया मौजूद है। वर्तमान मानदंडों के अनुसार किसी ऋण पुनर्व्यवस्था योजना को कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था (CDR Cell) कक्ष में शामिल करने के लिए संख्या की दृष्टि से कम से कम 60% लेनदारों और मूल्य की दृष्टि से कम से कम 75% ऋणदाताओं द्वारा पैकेज का अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। हालांकि, मूल्य की दृष्टि से उनके केवल 69.5% ऋणदाताओं ने ही सहमति प्रदान की थी। इसप्रकार वे अपेक्षित आम राय नहीं बना पाए।

विदेशी मुद्रा

मई 2012 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)
जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	1.04720	0.559	0.673	0.884	1.1060
जीबीपी	1.86275	1.3790	1.4680	1.5770	1.7040
यूरो	1.29750	0.952	1.070	1.247	1.446
जापानी येन	0.55229	0.348	0.355	0.383	0.430

कनाडाई डालर	2.05000	1.691	1.813	1.920	2.027
आस्ट्रेलियाई डालर	4.95000	3.698	3.763	3.988	4.093
स्विस फ्रैंक	0.39283	0.220	0.270	0.365	0.490
डैनिश क्रोन	1.57800	1.0700	1.1880	1.3530	1.5560
न्यूजीलैंड डालर	3.54600	2.813	2.993	3.218	3.445
स्वीडिश क्रोनर	2.82700	2.030	2.065	2.126	2.197

स्रोत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	20 अप्रैल 2012 के दिन	20 अप्रैल 2012 के दिन
	बिलियन रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	15, 296, 6	294602.9
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13,531. 3	260218. 3
ख) सोना	1, 382, 5	27, 023.1
ग) विशेष आहरण अधिकार	231, 8	4, 457.2
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	151.0	2, 904.3

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

विदेशी ऋण को विदेशी मुद्रा सुरक्षा बहु-वर्षीय निम्न स्तर पर

विदेशी ऋण के अनुपात में भारत की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां अधिकाधिक रूप से संकुचित हो रही हैं। प्रारक्षित निधियों का उपयोग ऋण दायित्वों को पूरा करने हेतु किया जाता है। विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां, जो मार्च 2011 के दिन भारत के लगभग समस्त विदेशी ऋणों को सुरक्षित करती थीं, अब (दिसम्बर 2011 में) केवल लगभग 88.5% को ही सुरक्षा प्रदान करती हैं। जहां दिसम्बर तक की 9 माह की अवधि में विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों में 3% की कमी हुई, वहीं विश्व के प्रति भारत की देनदारी में 9.4% की वृद्धि हुई। विदेशी ऋण के बढ़ते अंश में उधारकर्ता अधिकाधिक रूप से अल्पावधिक ऋणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। रुपये को भारतीय रिज़र्व के समर्थन, चालू खाते का बढ़ता घाटा तथा बढ़े हुआ ऋणगत खर्च के कारण विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों की आयात सुरक्षा में भी कमी आ रही है।

नयी नियुक्तियां

- श्री अचल कुमार गुप्ता को स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री स्टुअर्ट मिलन को एचएसबीसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अशोक कुमार राय को सामान्य (General) बीमा कम्पनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री पी.एस. रेड्डी को सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के प्रभावी बैंक पर्यवेक्षण के मुख्य सिद्धांतों के सारांश प्रस्तुत करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए हम आपको अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के चिंतन की ओर ले चलते हैं। इससे पाठकों को उस सुंदर तर्क को समझने में सहायता प्राप्त होगी जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक बैंकिंग प्रणाली को गंभीर वित्तीय विप्लवों से सुरक्षित रखने में करता है।

(विगत अंकों से जारी)

सामान्य दृष्टिकोण

पहला मुख्य सिद्धांत बैंकों की सुरक्षा एवं सुदृढता को बढ़ावा देने तथा बैंकिंग पर्यवेक्षण के मूल उद्देश्य के रूप में बैंकिंग प्रणाली का वर्णन करता है। अधिकार क्षेत्र बैंकिंग पर्यवेक्षक को अन्य उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है, बशर्ते वे इस मूल उद्देश्य 6 से न टकराएं। बैंकिंग विफलताओं को रोकना बैंकिंग पर्यवेक्षण का एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हालांकि पर्यवेक्षण का लक्ष्य निवारक प्राधिकारियों के साथ मिल कर कार्य करने सहित किसी बैंक की विफलता की संभाव्यता और प्रभाव को कम करना होना चाहिए, ताकि जब विफलता की घटना हो, तो वह व्यवस्थित विधि से हो।

अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन मुख्य सिद्धांतों को आवश्यक रूप से अधिकार क्षेत्रों की एक ऐसी व्यापक श्रृंखला पर प्रयोज्य होना चाहिए, जिसके बैंकिंग क्षेत्र में (अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बड़े बैंकों से लेकर छोटे गैर-जटिल जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं तक) बैंकों के एक व्यापक वर्णक्रम का अनिवार्य रूप से समावेश होगा। बैंकिंग प्रणालियां उत्पादों एवं सेवाओं की एक व्यापक श्रृंखला भी प्रदान कर सकती हैं तथा मुख्य सिद्धांत विभिन्न वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के सामान्य लक्ष्य के साथ जुड़े हैं। इनकी प्रयोज्यता के इस परिमाण के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए स्वयं उनके कार्यों के निर्वहन के लिए पर्यवेक्षकों से की जाने वाली अपेक्षाओं तथा उन मानकों, जो पर्यवेक्षक बैंकों पर अधिरोपित करते हैं, दोनों ही दृष्टियों से एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। फलतः ये मुख्य

सिद्धांत इस तथ्य को अभिस्वीकृत करते हैं कि पर्यवेक्षक विशिष्ट रूप से एक ऐसे जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करें जिसमें अधिक समय एवं संसाधन अपेक्षाकृत बड़े, अधिक जटिल अथवा जोखिमपूर्ण बैंकों पर लगे। पर्यवेक्षकों द्वारा बैंकों पर लागू किए जाने वाले मानकों के संदर्भ में समानुपातिकता की संकल्पना उन सिद्धांतों में प्रतिबिंबित होती है, जो बैंकों के जोखिम प्रबन्धन के बारे में पर्यवेक्षकों के आकलन पर संकेन्द्रित हैं, जिनमें ये सिद्धांत बैंक की जोखिम प्रोफाइल 7 तथा प्रणालीगत महत्व 8 के समनुरूप पर्यवेक्षी अपेक्षा का एक स्तर निर्धारित करते हैं।

इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि समिति द्वारा जारी मानकों और मार्गदर्शी सिद्धांतों में उत्तरोत्तर संशोधन विनियामक प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रेरित होंगे। पर्यवेक्षकों को उन अद्यतन अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षी मानकों, वे जब भी जारी किए जाएं, के अंगीकरण की दिशा में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

(स्रोत : अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक)

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

परिवर्तनशील उपरिखर्च

व्यवसाय परिचालित करने की वह अप्रत्यक्ष लागत, जिसमें व्यवसाय की गतिविधि के स्तर के साथ कुछ हद तक घट-बढ़ होती रहती है, किन्तु जिन्हें व्यावसायिक गतिविधि के न्यूनतम होने पर भी वहन किया जाता है। जहां किराया, वेतन और बीमा जैसे अधिकांश उपरिखर्च विशिष्ट रूप से स्थिर होते हैं, वहीं उपरिखर्च लागतें, जिनमें अधिक व्यावसायिक गतिविधि के साथ वृद्धि होती जाती है और कमतर व्यावसायिक गतिविधि के साथ कमी हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। आम तौर पर इनमें अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम तथा ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें किसी विशिष्ट उत्पाद को सीधे नहीं आबंटित किया जा सकता, जैसे उपयोगी वस्तुओं और उपकरण रख-रखाव के लिए खर्च।

शब्दावली

कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था

किसी कम्पनी के बकाया दायित्वों की ऐसी पुनर्व्यवस्था, जिसकी प्राप्ति प्रायः कम्पनी पर कर्ज के भार को भुगतान की जाने वाली दरों को घटा कर तथा जिसमें कम्पनी को उस दायित्व को चुकाना होता है उस समय को बढ़ा कर कम करते हुए की जाती है। यह व्यवस्था कम्पनी को उस दायित्व को पूरा करने हेतु अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। इसके अलावा, कर्ज का कुछ हिस्सा लेनदार द्वारा कम्पनी में इक्विटी की स्थिति के बदले में माफ किया जा सकता है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कुर्ला में प्रशिक्षण गतिविधियां

मई और जून 2012 माह के कार्यक्रमों का कैलेंडर

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि	स्थल
1	ग्राहक सेवा पर संगोष्ठी	18 मई, 2012	चण्डीगढ़
2	"वित्तीय समावेशन" पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 से 5 मई, 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला
3	निपुण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	21 से 25 मई, 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला
4	ऋण मूल्यांकन	28 मई से 1 जून 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला
5	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	14 से 16 जून 2012	लीडरशिप सेंटर, आईआईबीएफ, कुर्ला

लीडरशिप सेंटर में आयोजित विगत कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम		सहभागियों की संख्या
1	"वित्तीय समावेशन" पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	3 मई से 5 मई, 2012	19
2	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	26 अप्रैल से 28 अप्रैल 2012	27
3	निपुण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	23 अप्रैल से 27 अप्रैल 2012	33
4	कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर संगोष्ठी	21 अप्रैल, 2012	18
5	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर संगोष्ठी	17 अप्रैल, 2012	25

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ और सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए वेब कक्षाएं और ई-शिक्षण

संस्थान जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ और सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों के लिए वेब कक्षाओं और ई-शिक्षण की सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन
पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12

- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषित करें।

जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ और सीएआईआईबी के लिए छद्म परीक्षा

संस्थान ने जेएआईआईबी / डीबीएण्ड एफ और सीएआईआईबी के सभी अभ्यर्थियों के लिए छद्म परीक्षा की शुरुआत की है। अधिक विवरण के लिए कृपया www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

बाज़ार की खबरें भारत औसत मांग दरें

9.40
9.20
9.00
8.80
9.60
8.40
8.20
8.00

03/04/12 04/04/11 07/04/12 09/04/12 11/04/12 12/04/12 16/04/12 18/04/12
19/04/12 23/04/12 24/04/12

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- वित्तीय वर्ष 2011-12 के समाप्त होने बाद मांग मुद्रा बाज़ार की एक-दिवसीय दर घट कर 8.8% पर बंद हुई। यह 9.5% और 8.5% के बीच घटती-बढ़ती रही।
- 10वीं को मांग मुद्रा बाज़ार में पुनः मामूली सी गिरावट आई, जिससे वह 9.10% और 8.75% की श्रेणी में

- संचरण के पहले 8.80% से घट कर 8.75% पर स्थिर हुई।
- अंतर-बैंक मांग दर 24वीं को बढ़ कर 8.35 / 8.40% पर पहुंच गई, जो अब भी 8% की नयी पुनर्खरीद दर से अधिक है।
 - अंतर-बैंक मांग दर 8.35 / 8.40 पर स्थिर बनी रही, क्योंकि निरंतर भारी ऋण आपूर्ति के बीच चलनिधि घाटा अधिक बना रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50
45

03/04/12 09/04/12 11/04/12 13/04/12 16/04/12 18/04/12 19/04/12 20/04/12
23/04/12 24/04/12 25/04/12 27/04/12

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- विशेषज्ञों द्वारा 2री को प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार किसी महत्वपूर्ण नकारात्मक समाचार के अभाव में डालर के समक्ष रुपये का क्रय-विक्रय 50.40 - 51.की श्रेणी में होगा।
- 9वीं को रुपये ने अपनी अधिकांश पूर्ववर्ती हानियों की भरपाई कर ली, किन्तु निर्यातकों द्वारा डालर की बिक्री देर से किए जाने के कारण वह अब भी अमरीकी मुद्रा के समक्ष 3 पैसे की कमतर दर अर्थात् 51.14 / 15 पर बंद हुआ।
- तेल आयातकों द्वारा डालर की मांग से दब कर 10वीं को रुपया लगभग तीन माह के निचले स्तर पर लुढ़क गया।
- 12वीं को स्थानीय तेल शोधकों द्वारा डालर की मांग से दब कर तथा विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाहों पर निरंतर चिंता के आधार पर रुपया पूर्ववर्ती लाभों को खोते हुए लुढ़क गया।
- माह के दौरान सामान्यतया मुख्य मुद्राओं के समक्ष रुपये के मूल्य में कमी आई, जो अमरीकी डालर के समक्ष

4.18%, यूरो के समक्ष 2.77% जापानी येन के समक्ष 5.76% और जीबीपी के समक्ष 5.02% थी।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18000
17800
17600
17400
17200
17000

02/04/12 03/04/12 09/04/12 11/04/12 12/04/12 16/04/12 18/04/12 19/04/12
20/04/12 23/04/12 27/04/12 30/04/12

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटेर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोजेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेन्स

कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)

मुंबई - 400 070

टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332

तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.

वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मई, 2012